

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना  
चम्पा देवी बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 रा.भू.रा.अधिनियम मुकदमा नम्बर 242 सन् 2022 जीसीएमएस नं.  
SCMS-2022/113

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हू

2022

रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 128 रा.भू.रा.अधिनियम पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 03.06.2022 को पेश हो।



(वृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

3/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। P.O साहब दीनर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/6/22 को पेश हो।

16/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। P.O साहब दीनर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/6/22 को पेश हो।

27/6/22

वकील उपस्थित। अप्रार्थी कावजूद सम्पन्न तामील अग्रुपस्थित। नतः इसके विकरुड एक पत्रावली कार्यवाही अदालत में लामनी जाती है वास्ते एक पत्रावली दिनांक 15/7/22 को पेश हो।



पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। P.O साहब दीनर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..... को पेश हो।

15/7/22 पत्रावली में बहस एक पत्रावली सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्दिष्ट दि. 29/07/22 को पेश हो।

को पेश हो।



29/7/2022

पत्रावली आज चारते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किया जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। अतः समस्त सहखातेदारान, पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।



(विनाय कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा० पत्र० 242/2022

निर्णय दिनांक 29.07.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सिरोंही पटवार हल्का सिरोंही तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 652/2533, खसरा नंबर 653, खसरा नंबर 654 कुल किता 03 कुल रकबा 0.89 हैक्टे की प्रार्थीगण एवं सहखातेदारान व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 07.04.2022 पत्थरगढी की जावे। दौरान पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा वेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैंसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(विनाय कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)